(191)


# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन : 0141-2703544 *Email : rajssa_rte@yahoo.co.in* फैक्स : 0141- 5107388, 2701822


क्रमांक : राप्राशिप / जय / आर.टी.ई. / 2012 / 8634 दिनांक : 17/9/12

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Co. 10269148

RTE
3
21/9/12

**विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार परिषद का गठन।**

उपरोक्त विषय में अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है, कि राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 34 के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में **राज्य सलाहकार परिषद** का गठन किया गया है। उक्त परिषद में आपको पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

- राज्य सलाहकार परिषद, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देगी।
- स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य सलाहकार परिषद के कार्यों हेतु प्रशासनिक विभाग का कार्य करेगा।
- राज्य सलाहकार परिषद के कार्य, कार्य प्रकिया एवं सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के नियम 28 के अनुसार निर्धारित होंगीं।

विश्वास है कि आपके विशद् अनुभव का लाभ राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रभावी कियान्विति में सहायक होगा।

संलग्न : अधिसूचना

आयुक्त एवं सदस्य सचिव
(राज्य सलाहकार परिषद)

D/Letter RTE 2012

192


राजस्थान राज–पत्र
साधारण

**RAJASTHAN GAZETTE**
**Ordinary**

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

जिल्द 64 आषाढ़ 14, गुरुवार, शाके 1934—जुलाई 5, 2012 अंक 14

*Vol. 64 Asadha 14, Thursday, Saka 1934- July 5, 2012 No 14*


## विषय-सूची


[illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]; (4) [illegible] (5) [illegible] में [illegible] विज्ञप्तियां ।

[illegible] (1) [illegible] कार्यें; (2) [illegible] के [illegible] नियम; (3) प्रेस [illegible]; (4) समितियों के विवरण और [illegible] के अन्य प्रलेख जो सरकार सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करना चाहती है; (5) राजस्थान विधान सभा; (6) राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान राजस्व बोर्ड की विज्ञप्तियां ।

भाग 2 (क)–(1) विभागाध्यक्षों की विज्ञप्तियां; (2) आवश्यकता होने पर एक शिक्षा सम्बन्धी अनुपूरक भी हो सकता है ।

(ख)–(1) महालेखाकार, राजस्थान की विज्ञप्तियां और परिपत्र ।

भाग 3 (क)–(1) राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक; (2) प्रवर समितियों के विवरण ।

(ख)–सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, आनियम, उप-नियम और आज्ञायें ।

भाग 4 (क)–राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम ।

(ख)–राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश ।

(ग)–उप-खण्ड (1) [illegible] अधिकारियों द्वारा [illegible] सामान्य कानूनी [illegible] ।

उप-खण्ड (2) राज्य सरकार तथा अन्य राज्य [illegible] कारियों द्वारा जारी किये गये [illegible] अधिसूचनाएं ।

भाग 5 (क)–केन्द्रीय विधान मंडल के अधिनियम ।

(ख)–भारत सरकार की [illegible] आदि को [illegible] ।

(ग)–जनमत प्राप्त करने के लिये [illegible] मंडल के विधेयक ।

(घ)–(1) भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां; (2) औद्योगिक विवाद [illegible] दिये गये निर्णय ।

भाग 6 (क)–नगरपालिकाओं संबंधी [illegible] ।

(ख)–जिला बोर्डों [illegible] विज्ञप्तियां आदि ।

(ग)–ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि ।

भाग 7–(1) विभिन्न विभागों में [illegible] की सूचनाओं [illegible] कार निजी विज्ञापन, (2) [illegible] (3) केंद्रीय लोक सेवा आयोग [illegible] (4) राजस्थान लोक सेवा आयोग आदि की सूचनाएं ।


## EXTRAORDINARY ISSUES OF THE WEEK

The following Extraordinary Gazettes were issued during the week :—

1. 2-7-2012, 2. 3-7-2012, 3. 3-7-2012, 4 3-7-2012, 5 3-7-2012, 6 3-7-2012, 7 3-7-2012, 8. 4-7-2012, 9. 4-7-2012, 10. 4-7-2012, 11. 4-7-2012, 12. 4-7-2012, 13. 4-7-2012, 14. 4-7-2012, 15 4-7-2012, 16. 4-7-2012, 17. 4-7-2012, 18. 4-7-2012, 19. 5-7-2012, 20. 5-7-2012, 21. 5-7-2012

### भाग 1 (क)

नियुक्तियां, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में समस्त विज्ञप्तियां ।

**स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग**

**अधिसूचना**

जयपुर, जून 19, 2012

संख्या एफ. 21 (19) [illegible]-1/प्रा.शि/20 :— राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 28 [illegible] निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 34

की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित गठन से राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करती है:-

अध्यक्ष :

शिक्षा मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार

पदेन सदस्य :

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार
2. सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
3. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर
4. निदेशक/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर
6. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान-सदस्य सचिव

नामित सदस्य :

1. श्री मोहन लाल दानोदिया, सेवानिवृत्त, शिक्षा उप निदेशक, ग्राम व पोस्ट भगवानपुरा, तहसील नावां, जिला नागौर।
2. श्री मूलचन्द वर्मा (मीणा), सेवानिवृत्त शिक्षा संयुक्त निदेशक, ग्राम पोस्ट गोविन्दगढ़, जिला अलवर।
3. श्री अब्दुल कय्यूम अख्तर, दूदू हाऊस, रामगंज बाजार, जयपुर।
4. श्री कैलाश अग्रवाल, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर।
5. श्रीमती नीरा मुखर्जी, विभागाध्यक्ष, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली (निवाई), जिला टोंक।
6. प्रोफेसर के. बी. रथ, प्रधानाचार्य, रीजनल कालेज आफ एज्यूकेशन, अजमेर।

राज्य सलाहकार परिषद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देगी।

परिषद के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की होगी।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य सलाहकार परिषद के कार्यों हेतु प्रशासनिक विभाग का कार्य करेगा।

राज्य सलाहकार परिषद के कार्य, कार्य प्रक्रिया एवं सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 28 के अनुसार निर्धारित होंगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,<br>
वीनू गुप्ता,<br>
प्रमुख शासन सचिव,<br>
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।

## SCHOOL & SANSKRIT EDUCATION DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Jaipur, June 19, 2012

No. F.21(19)Edu.-I/E.E./2009.–In exercise of powers conferred by sub-section(1)of section 34 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009(RTE Act), read with Rule 28 of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education, Rules, 2011, the State Government hereby constitutes the State Advisory Council as per following composition.–

Chairperson:

Education Minister, School and Sanskrit Education (Govt. of Rajasthan)

Ex-officio Members:

1. Principal Secretary, School & Sanskrit Education Department, Govt. of Rajasthan.
2. Secretary, School & Sanskrit Education Department, Govt. of Rajasthan.
3. Director, SIERT, Udaipur.
4. Director/Commissioner, Elementary Education Rajasthan, Bikaner.
5. Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) Jaipur.
6. State Project Director, SSA-Member Secretary.

Nominated Members:

1. Shri Sohan Lal Danodia, Rtd. Education Deputy Director, V&PO Bhagwanpura, Teh. Navan Distt. Nagaur.
2. Shri Mool Chand Verma (Meena), Rtd. Education Joint Director Gram Post Govindgarh Distt. Alwar.
3. Shri Abdul Qayyum Akhtar, Dudu House, Ramganj Bazar Jaipur.
4. Shri Kailash Aggarwal, Narayan Sewaa Sansthan, Udaipur.
5. Smt. Neena Mukherjee, HOD, Pre Primary Education Vansthali Vidhyapeeth (Niwai) Distt. Tonk.
6. Prof. K. B. Rath, Principal, Regional College of Education, Ajmer.

The State Advisory Council shall advise the State Government on implementation of the provisions of the RTE Act.

The period of tenure of the nominated members of the Council will be two years from the date of notification.

The Department of School & Sanskrit Education would serve as the administrative department to the State Advisory Council.

The functions, procedure for transaction of business and appointment of the members of the Council shall be governed by the Rule 28 of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education, Rules, 2011.

By Order of the Governor,
वीनू गुप्ता,
Principal Secretary,
School & Sanskrit Education Department.

---

आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 4, 2012

संख्या प. 14 (1)/33/सामा./एएसआई/डीईएस/2010-11/16581:-सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 3 और 4 सपठित नियम 7 सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे सम्बन्धित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण हेतु वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 (राज्य प्रतिदर्श) एवं पश्चात्वर्ती वर्षों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ श्री रघुनाथ मीणा, उपनिदेशक (समन्वय) कमरा नम्बर 209, द्वितीय तल, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, योजना भवन, जयपुर (राज.) को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए तुरन्त प्रभाव से सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। इस सर्वेक्षण के आयोजन हेतु नियुक्त सांख्यिकी अधिकारी के निम्नानुसार शक्तियां एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं :-

1. उक्त सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
2. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जा सकेगा। प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।
3. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 एवं पश्चात्वर्ती वर्षों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की अनुसूची के भाग-I में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों का विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कन्ध) के कोलकाता स्थित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित अन्य एजेन्सी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों द्वारा संधारित किया जाएगा और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की अनुसूची के भाग-II में एकत्र आंकड़ों को श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संधारित किया जाएगा।